रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 340] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 1985/श्रावण 10, 1907
No. 340] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1985/SRAVANA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1985

सं. 245/85 सी. शु.

सा. का नि. 630(अ.).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 23-5-1984 की अधिसूचना सं. 162-सीमाशुल्क में निम्न-

निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, यथा :–

"श्री पी. के. कपूर, सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई हवाई अड्डा और श्री एम. के. जुत्शी, सीमाशुल्क समाहर्ता, दिल्ली भी निर्देशन दल के सदस्य होंगे। श्री डी. एस. सोलंकी और श्री के. एल. वर्मा निर्देशन दल के सदस्य बने रहेंगे।"

[फा. सं. 495/19/84-सी. शु.-VI]
आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1985

No. 245/85-CUSTOMS

G.S.R. 630(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 162-Cus. dated 23-5-1984 the following changes are made, namely :—

"Shri P. K. Kapoor, Collector of Customs, Bombay Airport and Shri M. K. Zutshi, Collector of Customs, Delhi will also be member of the Directing Group. Shri D. S. Solanki and Shri K. L. Verma will continue as members of the Directing Group."

[F. No. 495/19/84-Cus.VI]
R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985